भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 226**

उत्तर देने की तारीख 20.07.2026

**सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का विकास**

**226. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

**एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी :**

**सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे :**

**श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है या ऐसी रणनीति बनाने पर विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) मीडिया, डिजाइन, कला, विरासत और रचनात्मक सेवाओं सहित सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों के तहत पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नीतिगत सहायता और शासन को सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ कोई परामर्श, अनुसंधान अध्ययन और संस्थागत तंत्र विकसित करने का कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) विशेषकर महाराष्ट्र में, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक कूटनीति में इस क्षेत्र के अपेक्षित योगदान का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संवर्धन और विकास के लिए एक सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप, अर्थात रचनात्मक भारत तैयार किया है। प्रस्तावित रणनीति में उभरते कलाकारों और रचनात्मक साधकों को सहायता देने

के साथ-साथ, रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण, बाजार सुगमता, नवाचार, डिजिटल सक्षमता और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के लिए हस्तक्षेप निहित है।

(ख): प्रस्तावित हस्तक्षेप में व्यापक रूप से दृश्य कला, मंच कला, संग्रहालय, सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला, डिजिटल रचनात्मक उद्योग और अन्य रचनात्मक सेवाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

(ग): मंत्रालय अपनी नीतियों के निर्माण और अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार हितधारकों, विशेषज्ञों, सांस्कृतिक संस्थानों और अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से मिलकर काम करता है।

(घ): मंत्रालय सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और संवर्धन, कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को सहायता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देता है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसरों में योगदान देते हैं।

(ङ.) मंत्रालय की पहलें महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में भारत की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में योगदान देती है। मंत्रालय आर्थिक विकास या सांस्कृतिक कूटनीति में सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र के योगदान का कोई राज्य-विशिष्ट मूल्यांकन नहीं करता है।

*****